राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-६२६२/०६

आजाद व समसू बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक:२१.११.२००६

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री राहुल तिवारी,अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थीगण की ओर से
श्री आर पी कुलदीप, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य
श्री गणेष मीणा, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से

अभियुक्त- प्रार्थीगण द्वारा यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रथम सूचना संख्या-२३९/२००६पुलिस थाना- किशनगढबास, अलवर अपराध अन्तर्गत धारा-४२०,४०६ भा.दं.सं.के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त- प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इस अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी तथा दौरान बहस प्रस्तुत दस्तावेज/केस डायरी का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थीगण की ओर से तर्क दिया गया है कि उन्हें इस मामले में अकारण लिप्त किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि विवादित भूमि खसरा नं.२७३ में अभियुक्त-प्रार्थी समसू बराबर का हिस्सेदार है तथा जो भूमि बेची है, उसमें से परिवादी कमरूद्धीन के हिस्से की राशि उसे अदा कर दी गयी थी तथा उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है।

विद्वान लोक अभियोजक व परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा तर्क दिया कि परिवादी व उनके तीन भाई जिसमें अभियुक्त प्रार्थी ईसब सम्मिलित है, की कृषि भूमि थी जिनके द्वारा आपस में पारीवारिक बंटवारा खेत के हिसाब से कर लिया गया तथा विवादित खसरा नं. २७३ रकबा .५९ हैक्टर भाई बट्ट के हिसाब से परिवादी कमरूद्धीन व उसके भाई सूबेदार के हिस्से में आयी तथा प्रार्थी अभियुक्त के हिस्से में अन्य संयुक्त खसरे की पास की जमींन आयी , जिसको ईसब ने लगभग दो वर्ष पहले ही बेच दिया था तथा वृद्ध भाई कमरूद्धीन को विश्वास में लेकर उक्त बेची गयी भूमि के पैसे प्राप्त कर लिये तथा सम्पूर्ण राशि कमरूद्धीन को अदा नहीं की तथा फरार हो गये तथा क्रेता की साक्ष्य में भी यह आया है कि उसने अभियुक्त-प्रार्थीगण को परिवादी कमरूद्धीन द्वारा बेची गयी भूमि की राशि अदा की थी।

इस प्रक्रम पर इस मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन किया जाना उपयुक्त नहीं है किन्तु अपराध की प्रकृति व अभियुक्तगण की इस अपराध में बतायी गयी लिप्तता,

लगाये गये आरोप व प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मेरी राय में प्रार्थीगण आजाद व समसू को धारा ४३८ दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ दिया जाकर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीतनहीं होता है।

अत: अभियुक्त- प्रार्थीगण आजाद व समसू द्वारा प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(**न्या० जितेन्द्र राय गोयल**)